Case No → 66/2020
UCMS No → 2020/00265

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित उप० अपीलार्थी ने बताया कि उसे बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना प्राप्त हो चुकी है लेकिन बिन्दु संख्या ⑤ व ⑥ की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधि० (ADM) पाली द्वारा बिन्दु सं० ⑤ व ⑥ की सूचना उनसे सम्बन्धित नहीं होकर अन्य विभागो से सम्बन्धित होने से प्रकरण प्राप्त पत्र की प्रति धारा 6(3) RTI के अन्तर्गत तीन विभागों को महिला एवं बाल विकास विभाग पाली मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाली एवं जिला शिक्षा अधिकारी पाली को प्रेषित कर उनको अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलांट को भी सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी को बिन्दु संख्या ⑤ व ⑥ की सूचना प्राप्त करने हेतु उक्त विभागो में सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने हेतु हिदायत की गई तथा उक्त विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उनके सम्बन्धित विभागाधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु समझाइश की गई तथा उक्त विभागो के सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी जिनके समक्ष अपील होगी समझाया गया। अपीलांट द्वारा बिन्दु संख्या ⑤ व ⑥ बाबत उक्त समसारिणी के लिखित में चाहा गया जो न्यायोचित मांग नहीं है ऐसी स्थिति में इस अपील के सम्बन्ध में वर्तमान में इस न्यायालय से किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना शेष नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से बाद फैसल की जाकर मय नम्बर से जमा हो। जिला कलेक्टर, पाली	नाथूराम आ. 6335/0627465

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:35:01 IST
Reason: SelfAttested